

कार्यालय जिलाधिकारी-खीरी  
(आपदा राहत अनुभाग)

पत्रांक:- 2328 / प्रेस विज्ञप्ति / आ0रा0लि0

दिनांक:- 01.12.2021

प्रेस-विज्ञप्ति

अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या जी0आई0-105/एक-11-2021:5(जी)/2021 दिनांक 23 अक्टूबर 2021 द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों परिजनों को रू0 50,000/- की अनुग्रह धनराशि अनुमन्य की गयी है।

तत्कम में आवेदन पत्र अनिवार्यतः 11 बिन्दु के निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित तहसील/जिला मुख्यालय पर स्थित "कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल" को राजकीय कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए निम्न नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।


- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 01. तहसीलदार लखीमपुर  | - 9454416573   |
| 02. तहसीलदार गोला     | - 9454416575   |
| 03. तहसीलदार निघासन   | - 9454416577   |
| 04. तहसीलदार पलिया    | - 9454416576   |
| 05. तहसीलदार मोहम्मदी | - 9454416574   |
| 06. तहसीलदार धौरहरा   | - 9454416578   |
| 07. तहसीलदार मितौली   | - 9454418922   |
| 08. कंट्रोल रूम       | - 05872-259985 |

(संजय कुमार सिंह)  
अपर जिलाधिकारी  
लखीमपुर-खीरी।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. जिला सूचना अधिकारी खीरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश जी0आई0-105/एक-11-2021:5(जी)/2021 दिनांक 23.10.2021 में अनुग्रह सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जनपद खीरी की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त तहसीलदार को तहसीलों के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
4. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट कार्यालय को कलेक्ट्रेट सूचना पट्ट पर चस्पा कराने हेतु।

  
अपर जिलाधिकारी  
लखीमपुर-खीरी।

## संलग्नक-2

### कोविड-19 से मृत्यु होने पर अहेतुक सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र

- 1- मृतक का नाम-
- 2- मृतक के पिता का नाम-
- 3- मृतक का पूर्ण पता-
- 4- आर0टी0 पी0सी0आर0 / एन्टीजन / सी0टी0 स्कैन का दिनांक जिससे कोविड-19 प्रमाणित हुआ-(छायाप्रति संलग्न करें)
- 5- मृत्यु का दिनांक-(मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
- 6- आधार कार्ड नम्बर-(आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
- 7- मृतक के आश्रित का नाम-
- 8- आश्रित का मृतक से सम्बन्ध-
- 9- आश्रित का बैंक खाता संख्या-(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें) बैंक / शाखा का नाम (आई0एफ0एस0 कोड सहित)
- 10- आश्रित का मोबाईल नम्बर-
- 11- आश्रित की ई-मेल आई0डी0-

मृतक के  
आश्रित की  
पासपोर्ट  
साईज की  
फोटो चस्पा

### घोषणा

मैं .....घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य जाँच में असत्य पाया जाता है तो अहेतुक सहायता की धनराशि न दिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्नक:-

हस्ताक्षर

1-

मृतक के आश्रित का नाम

2-

दिनांक

3-

पता

Manaf